



## प्रेस नोट

दिनांक- 08.01.2025

### थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद हमीरपुर के निर्देश में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.01.2025 को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त सचिन उर्फ सच्चू पुत्र राम मिलन राजपूत को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 439/2024 धारा 191(2)/191(3)/109/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

#### नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

सचिन उर्फ सच्चू पुत्र राम मिलन राजपूत निवासी ग्राम बहगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 24 वर्ष)

#### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. अ0सं0 446/2022 धारा 13 जुआ सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 थाना जरिया जनपद हमीरपुर।
2. अ0सं0 173/2021 धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर।
3. अ0सं0 46/2020 धारा 13 जुआ सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 थाना राठ जनपद हमीरपुर।
4. अ0सं0 145/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 व धारा 286, 307, 504 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर।
5. अ0सं0 179/2022 धारा 147, 148, 149, 286, 308, 452, 504, 506 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर।
6. अ0सं0 257/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना राठ जनपद हमीरपुर।
7. अ0सं0 439/2024 धारा 109, 191(2), 191(3), 351(3), 352 आईपीसी थाना राठ जनपद हमीरपुर।
8. अ0सं0 608/2023 धारा 3/9/25 आयुध अधिनियम थाना राठ जनपद हमीरपुर।
9. अ0सं0 66/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना खरेला जनपद हमीरपुर।
10. मु0अ0सं0 439/2024 धारा 191(2)/191(3)/109/352/351(3) BNS थाना राठ जनपद हमीरपुर।

#### बरामदगी का विवरण:-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर अवैध बरामद।

#### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 श्री शिवम दत्त
02. का0 जितेन्द्र कुमार यादव
03. का0 प्रतीक राठौर
04. का0 विजय कोरी
05. म0का0 स्नेहलता

